साप्ताहिक
Live not just breaTHE

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/16-18

दि कार्मिक पोस्ट

वर्ष : 5, अंक : 51 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 12 अगस्त से 18 अगस्त 2020 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

आठ गाँव के आदिवासियों ने 500 एकड़ बंजर जमीन पर तैयार कर दिया जंगल

मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले में कान्हा नेशनल पार्क से लगे आठ गाँव के आदिवासियों ने अपने जज्बे से 500 एकड़ बंजर भूमि पर नया जंगल खड़ा कर दिया है। आदिवासी पिछले 10 सालों से नया जंगल तैयार करने में लगे हुए हैं।

दरअसल साल 2008 में वनरक्षक भरतलाल नेवारे ने बिरसा वन मंडल के दमोह बीज में ड्यूटी संभाली। उस समय रेलवाही, बनाथरटोला, पटेलटोला, जामटोला, परसाही, बीजाटोला, सत्ताटोला गांव की सीमाओं में जंगल नही था। इन गांवों के आदिवासियों ने जंगल का महत्व समझते हुए वनरक्षक से सलाह लेकर गांव के आसपास की सरकारी 210 हेक्टयर यानी 500 एकड़ जमीन पर पौधा रोप कर कर जंगल लगाने की शुरुआत की। पार्क के कॉरिडोर वाले जंगल से साल, साजा जामुन, बांस सहित अन्य प्रजातियों के पेड़ों के बीज से एक रोपणी बनाकर पौधे तैयार किए गए।

इसके लिए आदिवासियों ने सरकारी वनरक्षक की मदद से इलाके में पनपने योग्य पेड़ों के बीज तैयार करवाए। फिर करीब 500 एकड़ जमीन में उन्हें रोपा गया। पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए इसके लिए चौकीदार तैनात किया गया। आदिवासियों की सामूहिक जागरूकता और प्रयासों का परिणाम है कि आज इलाके में नया जंगल लहलहा रहा है।

बालाघाट। आठ गांव के आदिवासियों ने दस साल में 500 एकड़ बंजर जमीन पर हरा भरा जंगल तैयार कर दिया है। लोगों ने हर एक पौधे और पेड़ की बच्चों की तरह देखभाल की जिससे ये जंगल तैयार हो पाया।

वन रक्षक भारत लाल नेवारे कहते हैं, आदिवासियों ने पौधों की देखरेख बच्चों की तरह की। उनकी रखवाली की जिम्मेदारी चौकीदार को दी गई। बंजर सरकारी जमीन को हरा-भरा ही नहीं किया बल्कि उसे जंगल में तब्दील कर दिखा दिया। चौकीदार पहले पौधे की देखरेख करता था अब पेड़ों की रखवाली करता है।

चौकीदार को वेतन देने के लिए 720 घरों से हर साल छह-छह किलो धान एकत्र किया जाता है। हर साल करीब 43 कुंतल धान इकट्ठा जाता है। उसे बेचकर जंगल की रखवाली और अन्य खर्च का इंतजाम किया जाता है। 15 ग्रामीणों की एक समिति भी है जो इसका हिसाब-किताब रखती है।

ग्रामीण बताते है कि अब पूरे इलाके में जंगल तैयार होने से यहां बाघ तेंदूआ, नीलगाय, बायसन, हिरण के अलावा दूसरे जंगली जानवर दिखाई देते है। साथ हर साल बारिश भी अच्छी होने लगी है। गर्मी के दिनों में ठंड जैसा वातावरण रहने से जंगलों की तरफ पर्यटक भी घूमने आने आते है। ग्रामीणों के जंगल बचाने के संकल्प को पूरा करने में वन विभाग के वनरक्षक भरत नेवारे का सबसे अहम योगदान है।

विश्व हाथी दिवस पर विशेष

क्यों दंतविहीन होते जा रहे हैं गजराज

असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की चमकती दोपहरी में एक लापरवाह दंतहीन नर हाथी, जिसे मखणा भी कहते हैं, सोहोला बील के उथले पानी में अठखेलियां कर रहा है। उद्यान के अंदर इस मौसमी झील का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी में आने वाली बाढ़ के पानी से होता है। यहां से कुछ किलोमीटर दूर 25 हाथियों का एक झुंड, जिनके शरीर पूरी तरह कीचड़ से सने हैं, धीरे-धीरे बील की तरफ बढ़ रहा है। लंबे दांतों वाला एक हाथी, जिसे टस्कर भी कहते हैं, अन्य हाथियों से करीब एक फुट ऊंचा है और झुंड के पीछे-पीछे चल रहा है। जब झुंड के अन्य सदस्य चारागाह में चारा खाने के लिए बिखर गए, वहीं टस्कर, मादा हाथियों के साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करने लगा। बील के आसपास के झुंड में मखणा काफी सावधान होते हैं। वह मादा हाथियों को पानी में उतरते हुए देखते हैं। कुछ मिनटों के बाद ये झुंड की तरफ जाते हैं और एकाएक रुक जाते हैं। झुंड की कुछ मादा हाथी मखणा की तरफ देखती हैं और उनमें से एक मखणा की तरफ कुछ कदम चलती हैं। मखणा वहीं खड़ा रहता है। टस्कर झुंड के बीचोंबीच खड़ा है और मखणा की तरफ घूर रहा है। कुछ देर उसी स्थिति में खड़े रहने के बाद मखणा पीछे मुड़कर भाग जाता है। यहां एक अच्छी संभावना यह हो सकती है कि जो मादा हाथी मखणा की तरफ बढ़ रही थी, वह उसके साथ संभोग की इच्छुक हो। लेकिन उसी समय, टस्कर की आंख और कान के बीच की अस्थायी सूजन और उसकी ग्रंथि से हो रहे स्राव के कारण उसके गालों पर उभर आई तरल पदार्थ की लकीर इशारा कर रहे थे कि उसकी मस्त अवस्था शुरु हो चुकी है। मस्त होना एक ऐसी अस्थायी लेकिन तीव्र यौन अवस्था होती है, जिसमें टेस्टोस्टेरॉन (नर यौन हार्मोन) का स्राव चरम पर होता है। इस दौरान टस्कर अपनी मादा हाथियों को अन्य नर हाथियों से बचाकर रखते हैं। वह मखणा उस टस्कर से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया। हालांकि, यौन चयन के डार्विन के सिद्धांत को मानने वाले लोगों को यह घटना इस बात के लिए आश्वस्त कर सकती है कि नर हाथियों में लंबे दांतों की उत्पत्ति मादा हाथियों पर जीत हासिल करने के लिए एक हथियार के रूप में और एक आभूषण के तौर पर उन्हें आकर्षित करने के लिए हुई है। मखणा के ऊपर टस्कर की जीत इस निष्कर्ष को और भी पुख्ता करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है नहीं। सोहोला बील का टस्कर अपने दांतों की वजह से जीत नहीं पाता। मखणा सिर्फ इस बात से डर गया कि टस्कर अपनी मस्त अवस्था के शुरुआती चरण में है और उसका शरीर काफी बड़ा है। शोध छात्र करपागम चेलिया और बैंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के रमन सुकुमार के एक अध्ययन के मुताबिक हाथियों की मस्त अवस्था और बड़ा शरीर प्रजनन में लाभ हासिल करने में उसकी बादशाहत को स्थापित करता है। लंबे दांतों की भूमिका इसमें नगण्य होती है। मस्त अवस्था में नर हाथी हमेशा प्रजनन के लिए तैयार मादा हाथियों की तलाश में रहते हैं। नर हाथी अपनी मस्त अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए अपनी विशेष ग्रंथि से गंधयुक्त तरल पदार्थ का स्राव करते हैं और अपने मूत्र की फुहार छोड़ते हैं। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों जॉयस पूले और सिंथिया मॉस ने अफ्रीकी हाथियों में देखा कि एक मस्त नर हाथी एक साधारण लेकिन उससे आकार में बड़े नर हाथी को आसानी से हरा देता है। हालांकि नर बनाम नर प्रतिस्पर्धा में दांतों के महत्व का पता अभी तक नहीं लगाया गया है। काजीरंगा के जंगली हाथियों के बीच नर बनाम नर प्रतिस्पर्धा को जानने के लिए चेलिया और सुकुमार ने व्यवस्थित और स्वभावगत प्रेक्षण किया, जो कि मखणा और टस्करों की बराबर संख्या होने के कारण संभवत: अनोखा है। उन्होंने पाया कि ज्यादातर मामलों में मस्त नर, गैर मस्त नर से मुकाबले में दांतों की किसी भूमिका के बिना जीत जाता है।

शाकाहारी जीवों पर अधिक है विलुप्ति का खतरा, जानें क्यों

पिछले 500 वर्षों में कम से कम 368 कशेरुक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। मौजूदा कशेरुकियों के 18 फीसदी प्रजातियों को विलुप्त होने के खतरे के रूप में पहचाना गया है। कशेरुक ऐसे जानवर हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इन जानवरों में मछली, पक्षी, स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप शामिल हैं।

10 लाख साल पहले, बड़े पैमाने पर बड़े शाकाहारियों के लुप्त होने से पृथ्वी के परिदृश्य में बदलाव आया, और इस तरह से जैव-रासायनिक चक्र में बदलाव हुआ जिससे पृथ्वी की जलवायु थोड़ा ठंडी हो गई थी।

अमेरिका की यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी के वाटरशेड साइंसेज के सहायक प्रोफेसर, त्रिशा एटवुड द्वारा किए गए एक नए अध्ययन से पता चलता है कि आधुनिक समय के मेगाहर्बिवोर्स (1000 किलोग्राम से अधिक वजन वाले, शाकाहारी जानवर) जल्द ही अपने प्राचीन पूर्वजों के समान गायब हो सकते हैं।

24,500 से अधिक स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों के आहार के आंकड़ों को लेकर एटवुड और उनकी टीम इस सवाल का जवाब ढूढ़ने में लगी हैं कि - क्या शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, सबसे अधिक खतरे में हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं? अध्ययनकर्ताओं के निष्कर्ष, दो दशक लंबी धारणा को चुनौती देने वाली हैं, जिसमें कहा गया था कि मांस खाने वाले शिकारी पृथ्वी के सबसे अधिक विलुप्त होने वाले समूह में थे। यह अध्ययन साइंस एडवांसेज में प्रकाशित हुआ है। परिणामों से पता चलता है कि दुनिया के चौथाई से अधिक शाकाहारी जीव विलुप्त होने के खतरे में हैं। वर्तमान समय में घास खाने वाली प्रजातियां सबसे अधिक खतरे में है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि शाकाहारी जीवों पर यह हमला कोई नई बात नहीं है। मानव गतिविधियों ने प्लीस्टोसिन काल (11,000-50,000 साल पहले) के बाद से हिंसक जानवरों की तुलना में शाकाहारी जीवों को अधिक नुकसान पहुंचाया है।

एटवुड की टीम ने गलत धारणाओं को चुनौती देने के लिए साक्ष्य-आधारित विज्ञान का उपयोग करने की बात कही है। समाज को भविष्य में विलुप्त होने वाले जीवों के बारे में सही जानकारी देना आवश्यक है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में हर प्रजाति की भूमिका अलग है, वे क्या खाते है, यह समझते हुए कि क्या शिकारियों, शाकाहारियों, या सर्वभक्षी के विलुप्त होने का सबसे अधिक खतरा है। वैज्ञानिकों और समाज को यह समझने में मदद करता है कि इन प्रजातियों को खोने के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं।

सरिस्का टाइगर रिजर्व में अवैध खनन पर एनजीटी ने लगाई कड़ी फटकार

एनजीटी ने 10 अगस्त को राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व में अवैध खनन के मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन का निर्देश दिया। इस समिति में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट अलवर और राजस्थान के प्रधान मुख्य संरक्षक (वन बल के प्रमुख) अधिकारी शामिल होंगे। एनजीटी ने अवैध खनन के अनुमान, क्षेत्र में स्वीकृत खानों की संख्या और पर्यावरणीय आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध खनन की जांच के लिए नियम बनाने और दो महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। यह आदेश 27 जुलाई की एक अखबार की रिपोर्ट के मद्देनजर आया, जिसमें सरिस्का रिजर्व के अंदर संदिग्ध खनन माफिया से संबंधित एक ट्रैक्टर द्वारा वन होमगार्ड को नीचे गिराने की सूचना मिली थी। यह घटना उस समय घटी जब होमगार्ड ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर खनन माफियाओं को रोकने का प्रयास किया था। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि रिजर्व 1,281 वर्ग किलोमीटर में फैला है।

बिहार में गंगा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनएमसीजी ने एनजीटी को सौंपी रिपोर्ट

जुलाई 2020 तक बिहार में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) / सीवरेज के बुनियादी ढांचे से संबंधित, विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति पर 10 अगस्त, 2020 को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के दानापुर, फुलवारी, सहरिफ, हाजीपुर, फतुहा और मुंगेर में एसटीपी / सीवरेज परियोजनाओं के लिए निविदाओं (टेंडर) को अंतिम रूप देने में विलंब हो रहा है। एनएमसीजी / जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को सभी आवश्यक सहायता, निर्देश और बार-बार याद दिलाए जाने के बावजूद भी इसमें देरी हो रही है।

परियोजनाएं बिहार में गंगा नदी की सहायक नदियों में अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट और मल छोड़े जाने और इसे रोकने के संबंध में हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुनी गई प्रमुख सहायक नदियां इस प्रकार से है = पुनपुन, रामरेखा, सिकरहना, सिरसिया, परमार, सोन, बुरही गंडक, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा और किउल नदी इसमें शामिल है।

जबकि 7 एमएलडी क्षमता वाले ढ्ढ × ष्ठ और एसटीपी वाली परियोजना के लिए 35.49 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए थे। जिसमें पुनपुन नदी शामिल है। बाकी सहायक नदियों की परियोजना के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अभी शुरुआती दौर में है। राज्य को इन परियोजनाओं के जून 2021 तक पूरा होने की उम्मीद थी।

परंतु अब ऐसा होना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि राज्य को मंजूरी और कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू करने से पहले परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करना होगा। गंगा नदी में ई-प्रवाह के रखरखाव के संबंध में, राज्य द्वारा कहा गया कि राज्य में गंगा नदी के फैलाव पर कोई नियंत्रण संरचना मौजूद नहीं है, इसलिए इस पर राज्य द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नदी के बाढ़ क्षेत्र में जैव विविधता पार्कों के विकास के संबंध में, बिहार उपयुक्त भूमि के चयन और हस्तांतरण के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, राजस्व और भूमि सुधार और जिला प्रशासन विभागों के बीच तालमेल कर इसकी व्यवस्था में लगा है।

रोरो गांव में अभ्रक की पुरानी खदानों

से उड़ रही धूल के कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण को हो रहा है नुकसान

झारखंड सरकार द्वारा एनजीटी को रोरो अभ्रक खदान, चाईबासा जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र की बहाली के लिए उठाए गए कदमों की सूची देने से पहले एक रिपोर्ट सौंपी गई।

इस तरह की खदानों के लिए लीज हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट लिमिटेड (एचएसीपीएल) के पक्ष में दी गई थी। वर्ष 1983 में खदानों ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि, इस क्षेत्र में पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए, खदानों के पुनर्स्थापन के लिए सुरक्षा उपाय नहीं किए गए थे।

स्वास्थ्य को होने वाले खतरों, तालाबों और नदियों के प्रदूषण के परिणामस्वरूप एस्बेस्टस धूल आधारित प्रदूषण का उत्सर्जन लगातार जारी रहा। ट्रिब्यूनल को झारखंड राज्य द्वारा सूचित किया गया था कि रोरो गांव की छोड़ी गई अभ्रक की खदानों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास से संबंधित कई योजनाएं लागू की गई थीं। योजनाओं में %बड़ा लागिया पंचायत के अंदर रोरो गांव के मुंडसई% में एक जल मीनार का निर्माण शामिल है। 565 स्थानीय निवासियों की स्वास्थ्य जांच (1,50,000 रुपये की लागत से प्रारंभिक जांच) की गई थी। 565 स्थानीय निवासियों में से 164 में एस्बेस्टोसिस बीमारी के लक्षण पाए गए थे। 164 स्थानीय निवासियों में से 126 का पीपीटी और एक्स-रे परीक्षण किया गया था।

क्या बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार देने के लिए समाज और सरकार तैयार है?

जमीन, मिट्टी का केवल एक कतरा भर नहीं - बल्कि महिला समाज के अपने पहचान, सम्मान और गौरव का पैमाना भी है। महिला समाज को उनके भूमि / संपत्ति के अधिकार से वंचित रखना वास्तव में उस आधी आबादी अथवा आधी दुनिया की अवमानना है- जो एक मां, बहन और पत्नी अथवा महिला किसान के रूप में दो गज जमीन और मुट्ठी भर संपत्ति की वाजिब हकदार है। भारत में महिलाओं के भूमि तथा संपत्ति पर अधिकार, केवल वैधानिक अवमानना के उलझे सवाल भर नहीं हैं बल्कि उसका मूल, उस सामाजिक जड़ता में है जिसे आज आधुनिक भारत में नैतिकता के आधार पर चुनौती दिया ही जाना चाहिये। भारत, दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहाँ संवैधानिक प्रतिबध्दता और वैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की आधी आबादी आज भी जमीन में कहीं अपनी जड़ों की सतत तलाश और तराश में है। 11 अगस्त 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नें हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 की पुनर्व्याख्या करते हुये एक बार फ़िर समाज के उस जनमानस को जिलाने का प्रयास किया है जो ऐतिहासिक कानून के बाद भी जड़हीन हो चुके (अ)सामाजिक मान्यताओं के मुगालते में जी रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार पैतृक संपत्तियों पर बेटी का समान अधिकार है। उत्तराधिकार के वैधानिक प्रावधानों के परिधि में बेटी, जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में कानूनन बराबर की हकदार हो जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही पिता की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) कानून 2005 लागू होने के पहले हो गयी हो, फिर भी बेटियों का माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार रहेगा। अदालत नें तो यहां तक कहा कि बेटी, आजीवन हमवारिस (ष्टश्चश्चड्डह्लद्गष्द्गठ्ठश्वह्) ही रहेंगी, उनका यह अधिकार कभी छीना नहीं जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न न्यायालयों में संपत्ति के अधिकारों के जो लाखों विवाद बरसों से लंबित हैं और जिसकी वजह से लाखों महिलायें अब भी अपने हकों से मरहूम हैं, वह समाज के जनमानस में बैठे उस सामाजिक जड़ता का प्रतीक है जिसे सदियों से समाज अपने अहंकार में ढो रहा है। इसका परिणाम ही है कि संपत्ति पर अधिकारों के लिये महिलाओं के वैधानिक दावों और नैतिक अनुनयों के बावजूद अब तक मात्र 12 फ़ीसदी महिलाओं को उनका स्थापित अधिकार मिल पाया है। अदालतों में बरसों से लंबित तथाकथित विवादित प्रकरण, उस संकुचित मानसिकता का प्रमाण है जिसे आधी आबादी के अधिकार संपन्न होने से भय और असुरक्षा की आशंका होती है।

नायलॉन, सिंथेटिक से बने धागों से नहीं कर सकते पतंगबाजी- एनजीटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देशित किया गया था कि वह एनजीटी के पतंग उड़ाने में उपयोग किए जाने वाले धागे से संबंधित आदेश को लेकर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ समन्वय करें। आदेश में कहा गया था कि पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन, सिंथेटिक या इससे बने धागों का उपयोग सहित, ऐसा पदार्थ जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। एनजीटी ने 11 जुलाई, 2017 के अपने आदेश में इसके उपयोग पर रोक लगा दी थी। ट्रिब्यूनल ने वन्यजीव और मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का स्वत= संज्ञान लिया और इस तरह के धागे के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों / संबंधित जिला प्रशासन के माध्यम से इस दिशा निर्देश को लागू करने को कहा गया था। ट्रिब्यूनल ने सीपीसीबी से अनुपालन की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। तदनुसार, सीपीसीबी ने 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें कहा गया है कि असम, झारखंड, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेशों - दमन दीव और दादर नागर हवेली को छोड़कर सभी राज्यों ने इसके अनुपालन के बारे में सूचित किया। सीपीसीबी द्वारा राज्य बोर्डों और स्थानीय निकायों को जमीनी स्तर पर अनुपालन की निगरानी जारी रखने के लिए निर्देश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 7 अगस्त को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को मयूर विहार के पास, संजय झील पार्क में पेड़ों की जड़ों के आसपास कंक्रीट बिछाने संबंधी आरोप के मामले में, एक महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से जुड़े 2006 के नियमों में बदलाव

दिल्ली, कर्नाटक और मद्रास हाइकोर्ट ने सरकार से प्रस्तावित पर्यावरण संबंधी ईआईए ड्राफ्ट का 22 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने को कहा था. इस मामले पर केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें यह मांग की गई है कि अदालत के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करने के लिए उस पर कार्रवाई हो. मामला पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी ईआईए नोटिफिकेशन-2020 का है. दिल्ली हाइकोर्ट ने पिछली 30 जून को सरकार को निर्देश दिया था कि वह सभी 22 भारतीय भाषाओं में नोटिफिकेशन का अनुवाद करे जिससे लोग नियमों में बदलाव समझ सकें और अपने सुझाव जमा कर सकें.

दिल्ली हाइकोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका लगाने वाले विक्रांत तोंगड ने डीडब्ल्यू-हिन्दी से कहा, यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है. सरकार ने अदालत के 30 जून के आदेश के मुताबिक नोटिफिकेशन के अनुवाद भारतीय भाषाओं में नहीं किए हैं जिसकी वजह से हमें अदालत में यह (अवमानना की) अपील करनी पड़ी.

असल में केंद्र सरकार पर्यावरणीय प्रभाव आकलन से जुड़े 2006 के नियमों में बदलाव के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लायी है. किसी भी विकास परियोजना को मंजूरी मिलने से पहले यह रिपोर्ट तैयार की जाती है कि उस प्रोजेक्ट का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा. उस रिपोर्ट को ईआईए रिपोर्ट कहा जाता है. इसे हरी झंडी मिलने के बाद ही प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ता है. सरकार के प्रस्तावित बदलावों को लेकर जानकारों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति की है.

मिसाल के तौर पर सड़क, रेल और पाइपलाइन जैसे कई प्रोजेक्ट्स के लिए अब जन-सुनवाई की बंदिश नहीं रहेगी. पहले रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट रणनीतिक माने जाते थे लेकिन

अब सरकार किसी अन्य प्रोजेक्ट को भी इस दायरे में ला सकती है और उसके बारे में कोई जानकारी जनता को नहीं दी जाएगी. इसी तरह पड़ोसी देशों के साथ नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के दायरे को सीमावर्ती क्षेत्र घोषित करने की बात है जिससे वहां लगने वाले प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण नियमों की रोक-टोक नहीं रहेगी. ऐसा हुआ तो उत्तर पूर्वी राज्यों का एक बड़ा हिस्सा पर्यावरणीय पड़ताल के दायरे से बाहर हो जाएगा. इसके अलावा नए नियमों के हिसाब से कई प्रोजेक्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की मंजूरी के बिना ही शुरू किए जा सकते हैं और वह बाद में ईआईए-अनुमति का आवेदन कर सकते हैं.

पहला विवाद इस ड्राफ्ट ईआईए-2020 पर सुझावों के लिए सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा को लेकर उठा. पर्यावरण कार्यकर्ताओं की आपत्ति के बाद कोर्ट ने 30 जून की समय सीमा को बढ़ाकर 11 अगस्त किया. पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कोरोना महामारी की आड़ में सरकार इन नियमों को आनन-फानन में अमली जामा पहना देना चाहती है. उनका कहना है कि इन बदलावों पर कोरोना महामारी पर नियंत्रण किए जाने तक जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए. उधर पिछली 30 जून को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग पर सरकार से 10 दिन के भीतर 22 भारतीय भाषाओं में नोटिफिकेशन का अनुवाद करने को कहा। भाषा का यह मामला कर्नाटक और मद्रास हाइकोर्ट में भी चल रहा है जहां अदालतों ने सरकार से क्षेत्रीय भाषाओं में नोटिफिकेशन की कापी मुहैया कराने को कहा है. मद्रास हाइकोर्ट ने इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस दिया है जबकि कर्नाटक हाइकोर्ट ने इस मामले में सीमित स्टे लगाया है. कर्नाटक हाइकोर्ट में अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी है.

पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षों का होना जरूरी

पृथ्वी दिवस के अवसर पर इंडस वीजन एकेडमी मानपुर और परसावां शाखा में पौधरोपण किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सामाजिक दूरी, मास्क तथा हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करते हुए बच्चों ने स्कूल के खाली जगहों में पौधा लगाए।इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर पुष्पा कुमारी ने कहा कि आज जब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ने पर्यावरण संतुलन पर जो अपना दुष्प्रभाव स्थापित कर रहा है उससे बचाव तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों का होना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए सभी को पौधरोपण करना चाहिए। पौधरोपण एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हो रहा है। एक तरफ जहां केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार 'जल शक्ति मंत्रालय का गठन करकर 'हर घर नल का जल पहुंचाने के कार्यों को अमलीजामा पहनाने में लगी है तो वहीं जल तथा पर्यावरण संरक्षण कि दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर स्कूल के व्यवस्थापक अभिषेक कुमार ने कहा कि बिहार की सरकार जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जल संवर्धन तथा पर्यावरण संरक्षण कि दिशा में महत्वपूर्ण कार्य योजना के जरिए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शुभ संकेत है। आज जब इन कार्यों को जनता से सीधे जोड़ने एवं उत्साह जनक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो इसे गति भी मिल रही है। स्वयंसेवी संस्था हों या सरकारी महकमा सभी आज पर्यावरण की रक्षा हेतु संकल्पित हैं जो कि निकट भविष्य में अच्छे संकेत की ओर बढ़ते कहा जा सकता है। इस अवसर पर प्रचार्या शोभा देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पर्यावरण की बर्बादी का ईआईए प्रस्ताव लागू नहीं करे सरकार

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के पर्यावरण प्रभाव आकलन(ईआईए) 2020 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव पर्यावरण विरोधी है और इससे प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा।

श्रीमती गांधी ने अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में इस संबंध में छपे अपने लेख के द्वारा सरकार को घेरते हुए कहा कि उसे मालूम होना चाहिए कि हमरा देश जैव विविधता का भंडार है और इसकी सुरक्षा हम सबका दायित्व है । कोरोना महामारी के दौरान सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करना चाहिए था लेकिन इस दिशा में अच्छे कदम उठाने की बजाय सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली नीति का प्रस्ताव लेकर आई है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) 2020 ड्राफ्ट की हर ओर आलोचना हो रही है। विपक्षी पार्टियों से लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मसले पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की है।

श्रीमती गांधी ने कहा कि नई पर्यावरण नीति से पूंजीपतियों को विकास के नाम पर पर्यावरण को हानि पहुंचाने का वैधानिक मौका मिल जाएगा और पर्यावरण संरक्षण की बजाय देश में प्रदूषण फैलाने की नई परम्परा की शुरुआत होगी।

श्री राहुल गांधी ने भी एक बार फिर इस प्रस्ताव को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा प्रकृति की रक्षा करेंगे तो वह हमारी रक्षा करेगी । सरकार को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नियमों को खत्म करना चाहिये और इस क्रम में सबसे पहले ईआईए 2020 प्रस्ताव को वह वापस ले।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008